न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 83/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/128

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. सुनैना सिड़ाना पुत्री निहाल चन्द जाति अरोड़ा निवासी 12 एस, तहसील श्रीकरनपुर, जिला श्रीगंगानगर, हाल आबाद सी/ओ रतन लाल, मकान नं0 बी-1037, फाजिल्का, फिरोजपुर, पंजाब।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

तारीख रजू:- 23.05.2023

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : 18.10.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार मण्डल धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 41/37 व 42/38 में वादी के नाम कृषि भूमि संयुक्त खातेदारान के साथ राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जिसमें वादी का नाम सुनिता रानी पुत्री निहालचन्द जाति अरोड़ा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी को जरिए विरास्तन प्राप्त हुई है, जिसमें वादी का सुनिता रानी पुत्री निहालचन्द अंकित है। सुनीता रानी नाम वादी का पीहर पक्ष का नाम है। वादी की शादी होने के पश्चात् वादी का नाम सुनैना सिडाना नाम रखा दिया गया। वर्तमान में वादी को दोनो नामो से जाना व पहचाना जाता है, दोनो नाम एक ही औरत के है और वादी के ही है, लेकिन वादी के समस्त पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि में वादी का नाम सुनैना सिडाना अंकित है। इसलिए वादी उक्त वर्णित खाता में अपना नाम दुरूस्त करवाकर, सुनिता रानी के स्थान पर सुनैना सिडाना नाम अंकित करवाना चाहती है ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। राजस्व अभिलेख में वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण, वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है, क्योकि वर्तमान में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मिलने वाला अनुदान व बैंक ऋण इत्यादि की सुविधाएं आनलाईन आरम्भ हो चुकी है, जिसमें भी काफी असुविधाएं होती है। इस कारण वादी अपने वास्तविक नाम की घोषणात्मक का अनुतोष प्राप्त करने के लिए वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार मण्डल धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 41/37 व 42/38 में दर्ज नाम सुनिता रानी पुत्र निहालचन्द के स्थान पर सुनैना सिड़ाना पुत्री निहालचन्द दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 5311 दिनांक 05.10.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 12 एस की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 41 व 42 में सनिता रानी पुत्री निहाल चन्द के नाम से भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि सुनैना सिडाना पुत्री निहाल चन्द की शादी हो चुकी है व वर्तमान में फाज्लिका पंजाब में रहती है। शादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)

से पहले ये 6 वीं धनूर में रहती थी। इन्हे उक्त भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है। सुनीता रानी व सुनैना सिडाना दोनो एक ही है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का 6 वी धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 41/37 की प्रति, राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का 6 वी धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42/38 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, ई-श्रम कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, पार्षद वार्ड नम्बर 13 नगरपालिका केसरीसिंहपुर के तस्दीक प्रमाण पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया के द्वारा राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का 6 वी धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 41/37 व 42/38 में अंकित नाम सुनिता रानी पुत्र निहाल चन्द के स्थान पर सुनैना सिडाना पुत्री निहाल चन्द दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम सुनैना सिडाना दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 12 एस की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 41 व 42 में सनिता रानी पुत्री निहाल चन्द के नाम से भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि सुनैना सिडाना पुत्री निहाल चन्द की शादी हो चुकी है व वर्तमान में फाज्लिका पंजाब में रहती है। शादी से पहले ये 6 वीं धनूर में रहती थी। इन्हे उक्त भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है। सुनीता रानी व सुनैना सिडाना दोनो एक ही है। पार्षद वार्ड नम्बर 13 नगरपालिका केसरीसिंहपुर के तस्दीक प्रमाण पत्र के मुताबिक सुनीता व सुनैना सिडाना एक ही औरत के दो नाम है। अतः वाद पत्र वादिया रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादिया के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, पार्षद वार्ड नम्बर 13 नगरपालिका केसरीसिंहपुर के तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का 6 वी धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 41/37 में क्रम संख्या 9 पर अंकित नाम सुनितारानी पुत्र निहालचन्द के स्थान पर सुनितारानी उर्फ सुनैना सिडाना पुत्री निहालचन्द व राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का 6 वी धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42/38 में क्रम संख्या 7 पर अंकित नाम सुनितारानी पुत्री निहालचन्द के स्थान पर सुनितारानी उर्फ सुनैना सिडाना पुत्री निहालचन्द दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सुनैना सिडाना बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नम्बर **83/2023**

निर्णय दिनांक :- 18.10.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज कुमार सेजू** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का 6 वी धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 41/37 में क्रम संख्या 9 पर अंकित नाम सुनितारानी पुत्र निहालचन्द के स्थान पर सुनितारानी उर्फ सुनैना सिडाना पुत्री निहालचन्द व राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का 6 वी धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42/38 में क्रम संख्या 7 पर अंकित नाम सुनितारानी पुत्री निहालचन्द के स्थान पर सुनितारानी उर्फ सुनैना सिडाना पुत्री निहालचन्द दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 18.10.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांकः 18.10.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/521

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)